न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी

डॉ अंजली राजोरिया I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
02/2021	2021/16	03.12.2021	30.09.2024

श्री प्रहलाद पिता गोवर्धन जाति माली आयु व्यस्क निवासी चौहानखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़

:— प्रार्थी

—: बनाम :—

1. श्रीमती मंजुबाई पत्नि रामपाल माली आयु व्यस्क निवासी चौहानखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. श्री रामपाल पुत्र गोवर्धन जाति माली आयु व्यस्क निवासी चौहानखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)
3. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

:— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू—राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश मिशल संख्या 03/2013 दिनांक 17.01.2023

उपस्थिति :—
1. श्री रोहिताश्व पंचौली (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. श्री प्रमोद कुमार तम्बोली एवं अंकित पालीवाल (अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2)

—: आदेश :— दिनांक 30.09.2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू—राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश मिशल संख्या 03/2013 दिनांक 17.01.2023के तहत् प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम शंभुगंज पटवार हल्का स्वरूपगंज की राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 220/290 रकबा 0.32 हैक्टर में से 0.12 हैक्टर भूमि का आवंटन अप्रार्थी/आवंटीगण के पक्ष में बिना किसी समुचित जांच एवं नियमों की पालना किये अभियान के दौरान मात्र एकदिवस में समस्त कार्यवाहियां अमल में लाई जाकर किया गया है।

उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का अपने बाप दादाओं के समय से नियमित कब्जा काश्त रही है और उक्त आवंटित भूमि रकबा प्रार्थी की निजी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 213/273 एवं 220/230 से लगी हुई है। जबकि आवंटीगण के पास अपनी पैतृक आराजीयात राजस्व ग्राम शंभुगंज निजी खातेदारी भूमि आराजी संख्या 32 रकबा 6.31 हैक्टर एवं आराजी संख्या 33 रकबा 0.50 हैक्टर कुल किता 02 रकबा 6.81 हैक्टर भूमि में अप्रार्थी/आवंटीगण के 1/8 हक हिस्से अनुसार 0.81 हैक्टर भूमि रकबा पूर्व से उपलब्ध रिकार्ड रहा है अर्थात् आवंटी पूर्ण रूप से भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आते है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/आवंटीगण के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी/आवंटीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी/आवंटीगण कि ओर से अधिवक्ता श्री प्रमोदकुमार तम्बोली उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2023 को प्रस्तुत किया गया जो शामील पत्रावली है। प्रकरण में अधिनस्थ से मूल आवंटन पत्रावली तथा आवंटित भूमि की मौका स्थिति की रिपोर्ट तलबी हेतु तलबी पत्र जारी किये गये। उक्त क्रम में अधिनस्थ से मूल आवंटन पत्रावली दिनांक 22.05.20.24 को तथा आवंटित भूमि की मौका स्थिति रिपोर्ट दिनांक 25.07.2024 को प्राप्त हो रिकार्ड पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई दौराने बहस उपस्थित अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि विपक्षीगण को आवंटित भूमि प्रार्थी की निजी खातेदारी से भूमि से लगती हुई होकर उक्त भूमि पर प्रार्थी की नियमित कब्जा काश्त रही है तथा उक्त भूमि रकबा क्षेत्र का उपयोग उपभोग रास्ता प्रयोजनार्थ किया जाता रहा है। किन्तु राजस्व अभियान के दौरान अप्रार्थी/आवंटीगण द्वारा मिथ्या एवं भाम्रक आधारों पर उक्त भूमि आवंटन के लिय आवेदन करते हुए अपने नाम आवंटन करा लिया किन्तु मौके पर प्रार्थी की नियमित कब्जा काश्त होने तथा उक्त भूमि रकबा में से लगभग 0.04 हैक्टर भूमि रकबा क्षेत्र रास्ता प्रयोजन हेतु उपलब्ध होने से तथा अवशेष रकबा क्षेत्र 0.08 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी की कब्जा काश्त होने से आवंटीगण को आदिनांक तक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं।

इस संबंध में तहसीलदार छोटीसादड़ी से प्रस्तुत मौका एवं रिकार्ड रिपोर्ट दिनांक 25.07.2024 से प्रमाणित होता है। किन्तु विगत समय में आवंटीगण द्वारा उक्त आवंटित भूमि की गैर–खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत आवेदन से प्रार्थी की जानकारी में आया कि आराजी संख्या 220/290 रकबा 0.32 हैक्टर में से 0.12 हैक्टर भूमि का अप्रार्थीगण के पक्ष में आवंटन किया गया है। जिसे निरस्त कराया जाना आवश्यक होने के कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस से संदर्भित लिखित बहस भी रिकार्ड पत्रावली पर प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटी का आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

इसी प्रक्रम में उपस्थित अधिवक्ता अप्रार्थी/आवंटीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों का खण्ड़न करते हुए प्रस्तुत जवाब के हवाले से अवगत कराया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी एक ही सजरा खानदान के सदस्य है और आवंटीत भूमि के साथ साथ वक्त आवंटन प्रार्थी के पक्ष में भी राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 220/230 रकबा 0.20 हैक्टर आवंटित हुई है तथा अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटित भूमि रकबा प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 213/273 रकबा 0.13 हैक्टर एवं आवंटीत भूमि 220/320 रकबा 0.20 हैक्टर से लगी हुई नहीं होकर दुरी पर स्थित है। परन्तु प्रार्थी द्वारा द्वैश्ता पूर्वक राजस्व कार्मिकों से मिली भगत करते हुए अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कराने की नियत से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

जबकि आवंटित भूमियों पर अप्रार्थी/आवंटीगण एवं प्रार्थी के पैतृककाल से नियमित कब्जा रहा है। जिसके आधार पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में राजस्व अभियान के दौरानप उक्त दिवस को आवंटन किये गये थे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निराधार होने से अस्वीकार फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं रिकार्ड पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों जिसमें मुख्य रूप से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 29.10.2021 एवं जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 15.12.2023 तथा आवंटन मिशल संख्या 03/2013 आदेश दिनांक 17.01.2013 एवं रिकार्ड जमाबंदी प्रार्थी खाता संख्या 68 संवत 2075–78 एवं रिकार्ड जमाबंदी अप्रार्थी खाता संख्या 146 संवत 2075–78 तथा रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 25.07.2024 एवं लिखित बहस प्रार्थी

जिला कलक्टर
प्रतापगढ (राज.)

दिनांक 19.07.2024 तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य रिकार्ड दस्तावेजों के साथ साथ प्रकरण पर प्रचलित विधियों के साथ गहनता पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि राजस्व ग्राम शंभुगंज पटवार हल्का स्वरूपगंज की राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 220/290 रकबा 0.32 हैक्टर में से 0.12 हैक्टर भूमि का आवंटन अप्रार्थी/आवंटीगण के पक्ष में जरिये मिशल संख्या 03/2013 दिनांक 17.01.2013 को आवंटन किया गया है तथा उक्त भूमि रकबा जरिये नामान्तरकरण संख्यास 324 दिनांक 15.11.2013 से वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2075–2078 खाता संख्या 146 में दर्ज आराजी संख्या 220/290 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि अप्रार्थी/आवंटी संख्या 1 व 2 के नाम 1/2–1/2 हक हिस्से अनुसार बतौर गैर–खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है तथा उक्त भूमि की वर्तमान मौका एवं रिकार्ड की स्थिति के संदर्भ में तहसीलदार छोटीसादड़ी से प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 25.07.2024 के अनुसार अप्रार्थी/आवंटी को आवंटित भूमि रकबा क्षेत्र में से 0.04 हैक्टर भूमि रिकाडेड रास्ता भूमि से लगा होकर आवंटीगण के कब्जे में होना जाहीर करते हुए 0.08 हैक्टर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा होना दर्शित किया गया है तथा राजस्व ग्राम की अन्य आराजी संख्या 32 एवं 33 किता 02 रकबा 6.81 हैक्टर में से प्रार्थी एवं अप्रार्थी का पैतृक हक हिस्सा होना भी जाहीर किया गया है। साथ ही प्रकरण में रिपोर्ट तहसीलदार प्रतापगढ़ के अनुसार संज्ञान में आया कि अप्रार्थी/आवंटीगण को आवंटीत भूमि रकबा रिकाडेड रास्ता भूमि से लगा होकर IRC नोर्म्स के अनुसार आवंटन योग्य नहीं रहा है तथा उक्त भूमि आवंटन से मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य अन्यथा विवाद व्युत्पन्न हो गया है। जिससे अप्रार्थी/आवंटीगण एवं प्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन 14(4) योग्य होकर अप्रार्थी/आवंटीगण के पक्ष में आवंटित भूमि के रास्ता सीमा की भूमि होने तथा मौके पर कब्जे काश्त का विवाद होने के कारण अप्रार्थी/आवंटीगण की गैर–खातेदारी खातेदारी हेतु अयोग्य प्रतीत होने से विवादित आवंटन निरस्त योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी 14(4) विरूद्ध आवंटन मिशल संख्या 03/2013 आदेश दिनांक 17.01.2013 के स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/आवंटीगण के पक्ष में आवंटित भूमि राजस्व ग्राम शंभुगंज पटवार हल्का स्वरूपगंज की राजकीय बिलानाम भूमि आराजी संख्या 220/290 रकबा 0.32 हैक्टर में से 0.12 हैक्टर भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर तहसीलदार छोटीसादड़ी को निदेर्शित किया जाता है कि आवंटित भूमि को राजसात किया जाकर पुनः राजस्व रिकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को सरेईजलास सुनाया जाकर लिपीबद्व किया गया है।

(डॉ. अंजलि राजोरिया)
जिला कलक्टर
प्रतापगढ